न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 01/2025

निर्णय दिनांक 30.05.2025

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का छतरगढ (बी) तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

(प्रार्थी)

बनाम

इनायत खां पुत्र अहमद खां जाति मुसलमान साकिन चक 4 एआरएम (ए) तहसील छतरगढ जिला बीकानेर।

(अप्रार्थी)

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

–निर्णय–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का छतरगढ (बी) व भू.अ.निरीक्षक छतरगढ ने रिपोर्ट मय प्रपत्र पी. 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने चक 4 एआरएम (ए) के मुरब्बा नम्बर 119/27 के किला नम्बर 13/2 = 0.1265, 14 ता 20 = 1.7703, 21/1 ता 25/1 = 1.1380 कुल 3.0348 हैक्टेयर अनकमाण्ड (मौके पर सिचित) भूदान भूमि पर कृषि सम्वत् 2081 मे जायद की फसल लौकी (0.8852 हैक्टेयर) घीया (1.0116 हैक्टेयर), करेला (1. 1380 हैक्टेयर) का बिजान कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित। अप्रार्थी के विरूद्व ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति मे अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानो के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण मे अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाकर भू–राजस्व का 50 गुना 1050/–अक्षरे एक हजार पचास रूपये शास्ति आरोपित कर, बेदखली के आदेश पारित किये जाते है ।

भू.अ.निरीक्षक छतरगढ को आदेशित किया जाता है कि चक 4 एआरएम (ए) के मुरब्बा नम्बर 119/27 के किला नम्बर 13/2 = 0.1265, 14 ता 20 = 1.7703, 21/1 ता 25/1 = 1.1380 कुल 3.0348 हैक्टेयर अनकमाण्ड (मौके पर सिचित) भूदान भूमि पर कृषि सम्वत् 2081 मे जायद की फसल लौकी (0.8852 हैक्टेयर) घीया (1.0116 हैक्टेयर), करेला (1. 1380 हैक्टेयर) को कुर्क कर, कुर्कशुदा फसल को निलाम कर निलामी की कार्यवाही कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे। बाद अनुमोदन निलामी राशि राज़कोष मे जमा करावे। तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली/कब्जा भूमि बहक सरकार लेने बाबत बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक छतरगढ़ (बीकानेर)

(विवेक चौधरी)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)